

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-127/2011/29.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	नियंत्रण आदेश के तहत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति	30 कार्य दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
02	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	30 कार्य दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
03	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	उचित मूल्य दुकान का आबंटन (जिला मुख्यालय पर)	30 कार्य दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
04	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)	उचित मूल्य दुकान का आबंटन (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
05	कार्यालय नगरीय निकाय	एपीएल राशनकार्ड (शहरी क्षेत्र)	30 कार्य दिवस	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय अधिकारी	अपर कलेक्टर
06	कार्यालय ग्राम पंचायत	एपीएल राशनकार्ड (ग्रामीण क्षेत्र)	30 कार्य दिवस	सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
07	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	बीपीएल राशनकार्ड (ग्रामीण एवं शहरी)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	अपर कलेक्टर

नापतोल विभाग

क.	कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन एवं सत्यापन	15 कार्य दिवस	निरीक्षक नाप-तौल	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल
2	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	नवीन अनुज्ञप्ति (सेपल टेस्ट, पास करना) निर्माता अनुज्ञप्ति	45 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल	सचिव, खाद्य
3	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	विक्रेता अनुज्ञप्ति का प्रदाय (भारी एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल	सचिव, खाद्य
4	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	विक्रेता अनुज्ञप्ति का प्रदाय (छोटे उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य
5	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	सुधारक अनुज्ञप्तियों का प्रदाय (भारी उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल	सचिव, खाद्य
6	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	सुधारक अनुज्ञप्तियों का प्रदाय (छोटे उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य
7	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण	20 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.